रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092023-249059 CG-DL-E-29092023-249059

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4094]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

No. 4094]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

का.आ. 4265(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'पंजाब नर्सिस रजिस्ट्रेशन कांउसिल' (पैन AAABR0094H), पंजाब सरकार द्वारा गठित एक परिषद, उस परिषद को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थातु:-

- (क) नर्सिंग छात्र एवं मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से शुल्क; और
- (ख) बैंक में सावधि जमा सहित जमा की गई निधि पर अर्जित ब्याज।
- 2. यह अधिसूचना निम्नलिखित के अध्यधीन प्रभावी होगी कि पंजाब नर्सिस रजिस्ट्रेशन कांउसिल: -
 - (क) किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी;
 - (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियों और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; तथा

6177 GI/2023 (1)

- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाईल करेगी।
- यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी, जो क्रमश: वित्तीय वर्षों 2021-2022 और 2022-2023 के लिए संगत है।

[अधिसूचना सं. 84 /2023 फा.सं.300196/10/2022-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

- **S.O. 4265(E)**.—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Punjab Nurses Registration Council' (PAN: AAABR0094H), a council constituted by the Government of Punjab, in respect of the following income arising to the Council, namely:-
 - (a) Fees from Nursing students and affiliated nursing institutions; and
 - (b) Interest earned on funds deposited in banks including fixed deposits.
- 2. The provisions of this notification shall be effective subject to the conditions that Punjab Nurses Registration Council -
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file returns of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2022-2023 and 2023-2024 relevant for the financial years 2021-2022 and 2022-2023 respectively.

[Notification No. 84/2023 F. No. 300196/10/2022-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.